

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 न0 23/19

तारीखरजू:- 16/5/19

उनवान:- कन्हैया बनाम शिवचरण वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक

फर्द अहकाम

16/5/19

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य की असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि में सायलान को प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि आगामी पेशी दिनांक 04/06/2019 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 1455 रकवा 0.22 है0, ख0न0 1456 रकवा 0.30 है0, ख.न. 1457 रकवा 0.03 है0, ख.न. 1458 रकवा 0.18 है0 ख.न. 1459 रकवा 0.22 है0, ख0न0 1462 रकवा 0.02 है0, ख.न.1455/2082 रकवा 0.09 है0, ख.न. 1460 रकवा 0.25 है। ख.न. 1461 रकवा 0.14 है, ख.न. 1466 रकवा 0.01, ख.न. 1467 रकवा 0.31, ख.न. 1468 रकवा 0.33 है0 ग्राम भौपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली में आगामी पेशी तक मौके की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए जाते हैं।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ-साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नहीं होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अन्तरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 04.06.2019 को पेश हो।

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

1648-49
16-5-19

यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

218 वकील उभय पक्ष उपस्थित। जार्जी वकील ने Not Press कर मुकदमा खारिज करने कि माका कयन किया अतः यह जार्जी पत्र अहार्ड निषेधाज्ञा Not Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुगर होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।
स

Not Press
21/10/19
21/10/19